



2026:AHC:171839

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27500 वर्ष 2026

कौशल

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार दुबे, राकेश कुमार पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार पांडे और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से एजीए श्री बी.पी. मौर्य के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से दायर की गई है। इसमें ललितपुर ज़िले के पूराकलां पुलिस थाना में दर्ज आपराधिक वाद संख्या 67/2026 (धारा 64(1), 331(4), 75(1), 351(3) BNS) में विचारण के दौरान ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और प्राथमिकी 17 दिन की देरी से दर्ज की गई है; कथित घटना 12.4.2026 को हुई थी, जबकि प्राथमिकी 29.4.2026 को दर्ज की गई। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता बालिग और शादीशुदा महिला है और उसकी चिकित्सीय-विधिक आख्या उसके साथ बलात्कार के आरोप का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समर्थन नहीं करती है। साक्ष्य मानवेंद्र के बयान को देखने पर ऐसा लगता है कि कथित वीडियो पीड़िता ने खुद अभिलेख किया था और उसने आवेदक को भयादोहन करने की कोशिश की थी। हालांकि, जांच के दौरान ऐसा कोई वीडियो बरामद नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि उसे आवेदक के मोबाइल से मिटा कर दिया गया था। मामले की परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि पीड़िता अपनी मर्जी से शामिल थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 08.5.2026 से जेल में है; वह भरोसा दिलाता है कि अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण, विचारण के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, एजीए ने आवेदक को जमानत देने की मांग का विरोध किया और कहा कि जांच अधिकारी ने आवेदक के मोबाइल से एक वीडियो बरामद किया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

5. कथित घटना 12.4.2026 को हुई बताई जाती है, जबकि प्राथमिकी 29.4.2026 को दर्ज की गई थी। इसके अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि वह पीड़िता के पति की अनुपस्थिति में उसके घर में घुसा और उसके साथ बलात्कार किया, और उसने इस घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़िता बालिग और विवाहित महिला है और उसकी चिकित्सीय-विधिक आख्या बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करती है। साक्ष्य मानवेंद्र के बयान को देखने पर ऐसा लगता है कि कथित वीडियो पीड़िता ने खुद बनाया था और उसने आवेदक को भयादोहन करने की कोशिश की थी। हालांकि, जांच के दौरान ऐसा कोई वीडियो बरामद नहीं हुआ है, जबकि विद्वान एजीए का कहना है कि आवेदक के मोबाइल फोन से कुछ वीडियो बरामद हुआ है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 08.5.2026 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह मामला जमानत के लिए उपयुक्त लगता है। इसलिए, वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार किया जाता है।**

7. उक्त मामले में शामिल आवेदक **कौशल** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानत प्रस्तुत करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हों:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और

(iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्ष्य मौजूद हों और साक्ष्य पेश करने के लिए तारीखें तय हों, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात सिर्फ़ इस ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर फ़ैसला करने के मकसद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

14 अगस्त, 2026

मधुरिमा